न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी : अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

अपील सं0 83/2018

1. छोटेलाल मीना पुत्र श्री कालूराम मीना, निवासी ग्राम पंचायत लाडली का बास, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा (राजस्थान)

..अपीलांट

बनाम

1. जिला रसद अधिकरी दौसा (राज0) ..रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी, दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 161/2015 दिनांक 04.09.2015 एवं प्रकरण संख्या 180/2015 दिनांक 10.11.2015 में पारित संयुक्त आदेश दिनांकः 01.03.2016

उपस्थितः 1.श्री इनायत हुसैन अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

निर्णय

दिनांकः 28.01.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 01.03.2016 को अपीलांट का प्राधिकृत पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी। बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि अपीलकर्ता ग्राम पंचायत लाडली का बास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा के उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है, जिसके प्राधिकार पत्र संख्या 333/97 है। राजनैतिक रंजिशवश तहसील नांगल राजावतान के कुछ उपभोक्ताओं द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध झूंठी शिकायत की गई एवं माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थी के विरूद्ध जनहित याचिका पेश की गई। जिस पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा दवाब में कार्यवाही की जाकर प्रार्थी के विरूद्ध दो बार जांच की गई। जबकि दोनों जांचों में प्रार्थी के विरूद्ध रसद सामग्री का दुरूपयोग व कालाबाजारी प्रमाणित नहीं पायी गई एवं मात्र कालाबाजारी का संदेह प्रकट करते हुए प्रार्थी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जिसका उचित जवाब प्रार्थी द्वारा दे दिया जाने के बावजूद जिला रसद अधिकारी, दौसा द्वारा प्रार्थी के जवाब को कन्सीडर किये बिना ही प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को आदेश दिनांक 01.03.2016 द्वारा निरस्त कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी, दौसा द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध दो प्रकरण दर्ज किये गये। जिसमें से प्रकरण संख्या 161/2015 मय पत्रावली दिनांक 01.03.2016 को सुनवाई हेतु नियत थी। जिसकी आदेशिका के अनुसार उक्त पत्रावली को सुनवाई हेतु प्रकरण संख्या 180/2015 के साथ सूचीबद्ध किये जाने बाबत आदेश पारित किया गया। लेकिन जिला रसद

अधिकारी, दौसा द्वारा उक्त दोनों पत्रावलियों को तलब किये बिना ही उसी दिन दिनांक 01.3.2016 को दोनों पत्रावलियों में निर्णय किया जाकर एक ही आदेश द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया। उक्त विवादित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने के योग्य है। प्रार्थी के विरूद्ध दोनों जांच रिपोर्ट में किसी प्रकार की अनिमियता नही पाई गई है। प्रार्थी द्वारा माह अप्रेल 2015 से जून 2015 तक राशन कार्डो के अनुसार ही माल प्राप्त किया गया है। जो वितरण कर दिया गया है। मासिक रिटर्न हर माह दी जाती है एवं गेहूँ का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि प्रवर्तन अधिकारी दौसा द्वारा छोटेलाल मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत लाहडी का बास तहसील दौसा की दो जांच रिपोर्ट दिनांक 04.09.2015 एवं 10.11.2015 पेश की गई। उक्त जांच रिपोर्ट में निम्न अनियमितता अंकित की गई हैः–

प्रकरण संख्या 161/2015 में की गई अनियमिताऐं :–

1. राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड दौसा द्वारा दिनांक 26.08.2015 को दी गई सूचना के अनुसार श्री छोटेलाल उचित मूल्य दुकानदार लाहडी का बास को माह अप्रेल 2015 से जून 2015 तक कुल 190.97 क्वि. गेहूँ अधिक दिया गया है, जबकि मलबास में 133.57 + 333.04 = 466.61 क्वि. गेहूँ अधिक दिया गया है। माह जुलाई 2015 व अगस्त 2015 में भी निगम द्वारा यदि कोई आपूर्ति किया गया है। उसकी सूचना कार्यलय में उपलब्ध नहीं है। जबकि डीलर द्वारा माह जुलाई 2015 की प्रस्तुत मासिक रिटर्न में शेष स्टॉक शून्य दिखाया गया है। इससे जाहिर होता है कि डीलर द्वारा गेहूँ खुर्द बुर्द कर दिया गया है।

प्रकरण संख्या 180/2015 में की गई अनियमिताऐं :–

1. मौके पर श्री सुरेश गुर्जर (कार्यकर्ता) द्वारा केरोसीन वितरण किया जा रहा था। जिसके पास चालू माह के वितरण रजिस्टर के अलावा कोई ओर वितरण व स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे। वक्त निरीक्षण तक 3 लीटर प्रति राशन कार्ड के हिसाब से 46 राशन कोर्डों पर 138 लीटर केरोसीन का वितरण किया गया है। 3230 लीटर केरोसीन स्टॉक में है तथा गेहूँ के गोदाम की चाबी डीलर छोटेलाल मीना के पास होना बताया गया है।
2. श्री छोटेलाल मीना को दूरभाष पर संपर्क कर मौके पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया किन्तु छोटेलाल मीना मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। मौके पर उपस्थित कार्यकर्ता श्री सुरेश गुर्जर को कार्यालय में रिकार्ड जमा कराने हेतु पाबन्द किया किन्तु उसने रिकार्ड उपलब्ध नही करवाया।
3. मौके पर मूल्य सूची व स्टॉक का प्रदर्शन नहीं पाया गया।
4. प्रबंधक नागरिक आपूर्ति रा.रा.ख.ना.आ.नि. दौसा द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार माह सितम्बर 2015 तक श्री छोटेलाल मीना उचित मूल्य दुकानदार के पास मलवास स्थित दुकान पूनीराम अटैच छोटेलाल पर 219.19 क्वि. गेहूँ अधिक भेजे गये तथा रिक्त अटैच छोटेलाल पर 25.42 क्वि. गेहूँ आवंटन से अधिक भेजा गया। अतः गेहूँ की दुकान बन्द होने व डीलर के उपस्थित नहीं होने के कारण गेहूँ का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया। इससे पूर्व भी दिनांक 04.09.2015 को कार्यालय प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रिकार्ड मंगवाया गया था। किन्तु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में गेहूँ की कालाबाजारी की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार डीलर द्वारा बार–बार मांगने पर भी वितरण रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करना प्राधिकार पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त छोटेलाल मीना के विरूद्ध थाना नांगल राजावतान में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एफआईआर दर्ज करवाई जाकर चालान पेश किया जा चुका है। पुलिस अनुसंधान में यह दोषी पाया गया है। इसलिये अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 का अवलोकन करने पर उक्त आदेश पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र का क्रमांक दिनांक अंकित नहीं होना पाया गया है। प्रवर्तन अधिकारी दौसा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार डीलर को प्राप्त कुल 466.61 क्वि. गेहूँ के वितरण का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं इस बाबत डीलर द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिये जाने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.03.2016 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 28 जनवरी 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official